कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–2348 / FP/UK/OFC/54709/2020 देहरादूनः दिनांकः 9 - मार्च, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल में बेलेश्वर से बालगंगा (लाटा–तिनगढ) 33.2 किमी0, घनसाली से पौखाल (घनसाली–चिलगढ़ मल्ला) 26.9 किमी0 कुल 60.1 किमी0 तक मोटर मार्ग के किनारे OFC बिछाने हेतु 0.339 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना। **(Online proposal no- FP/UK/OFC/54709/2020)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.339 हे0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि प्रकरण में वृक्षों का पातन शून्य हैं।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के पत्रांक 1755/12–1 दिनांक 22.02.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथी से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
9/3/21
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
कार्या–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।

संख्या /FP/UK/OFC/54709/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती ।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
7. प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्लाट नं0–32, आई0टी0 पार्क, शहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
कार्या–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः–जनपद–टिहरी गढ़वाल में बेलेश्वर से बालगंगा (लाटा–तिनगढ) 33.2 किमी0, घनसाली से पौखाल (घनसाली–चिलगढ़ मल्ला) 26.9 किमी0 कुल 60.1 किमी0 तक मोटर मार्ग के किनारे OFC बिछाने हेतु 0.339 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/OFC/54709/2020)

जनपद–टिहरी गढ़वाल में बेलेश्वर से बालगंगा (लाटा–तिनगढ) 33.2 किमी0, घनसाली से पौखाल (घनसाली–चिलगढ़ मल्ला) 26.9 किमी0 कुल 60.1 किमी0 तक मोटर मार्ग के किनारे OFC बिछाने हेतु **0.339 हे0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **0.339 हे0** आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद– टिहरी / प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि प्रकरण में वृक्षों का पातन शून्य हैं।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 1755 / 12–1 दिनांक 22.02.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथी से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
कार्या–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।

सरकारी मोहरः

D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 09 / 03 / 2021
स्थान : देहरादून